बिहार सरकार

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

सं0संख्या-ल0सि0मो0/HKKP-मोतिहारी-204/2025 -415 पटना, दिनांक- 01/01/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

E-mail

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी ।

विषय–वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन **CFMS-2.0** प्रणाली द्वारा **हर खेत तक सिंचाई का पानी योजनाओं के क्रियान्वयन** हेतु आवंटन निर्गत किया गया है ।

2. वर्तमान में **कुल-22.742 लाख (बाईस लाख चौहत्तर हजार दो सौ) रूपये मात्र** का आवंटन दिया जाता है:-

(राशि लाख रूपये)

क्र0	योजना का नाम	वर्तमान आवंटित राशि		कुल आवंटित राशि
		50-4702001010106 (विषय शीर्ष-53.01)	50-4702007890106 (विषय शीर्ष-53.01)	
1	2	3	4	5
1	बरवा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	7.15344	1.36256	**8.51600**
2	मंझरिया उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	6.55704	1.24896	**7.80600**
3	झकिया उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	5.39280	1.02720	**6.42000**
	योगः-	**19.10328**	**3.63872**	**22.74200**

3. आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय ।

4. संबंधित योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित कार्यपालक अभियंता की जिम्मेवारी होगी ।

5. मापीपुस्त (MB) को PWD Code एवं PWD Account Code के तहत् जाँच कर ही भुगतान संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।

6. खनन कर, GST के प्रावधान के अनुसार शुल्क (Tax) जमा कराना संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुरूप हुआ है ।

8. योजनाओं के कार्य के डिफेक्ट को दूर कर ही भुगतान किया जाय ।

9. प्रशासनिक स्वीकृति के बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि की सीमा के अन्तर्गत ही भुगतान किया जाय ।

10. संबंधित योजनाओं के स्थल सीमांकन का सत्यापन संबंधित अंचलाधिकारी से कराना कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।

11. आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय । जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय ।

12. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन हैं। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

13. योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे ।

14. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

15. आवंटित राशि के नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें । साथ ही आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय ।

16. व्यय प्रतिवेदन विभाग/ महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।

17. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यो का भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे तथा यह सुनिशिचित करेगें कि व्यय नियमानुकूल एवं निर्धारित सीमा के अन्दर हो ।

18. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेगें तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेगें । यदि आपके द्वारा कार्यो का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यो पर किये गये भुगतान की जबावदेही आप की भी होगी ।

19. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **मोतिहारी** होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **मुजफ्फरपुर** होगें ।

20. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना, संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होगें तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे ।

21. राशि की निकासी जिला कोषागार, **मोतिहारी** से की जायेगी ।

22. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

23. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है ।

विश्वासभाजन

01/01/26

(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 415 *पटना, दिनांक-* 01/01/26

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना /अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण/आई0टी0मैनेजर,आई0टी0 कोषांग को आवंटनादेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/01/26

सरकार के उप सचिव

D:\BUDGET-2025\MAY STATE PLAN 4\HKKP\MOTIHARI.DOCX

E-mail

ज्ञापांक- 415 पटना, दिनांक- 01/01/26

प्रतिलिपिः-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित अंचलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/01/26

सरकार के उप सचिव

D:\BUDGET-2025\MAY STATE PLAN 4\HKKP\MOTIHARI.DOCX